न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 72/2008

1. दुर्गा पुत्र श्री रामा -
2. हरी पुत्र श्री रामा
3. श्रीमती बादाम धर्मपत्नि श्री दुर्गा

सभी जाति रावत निवासी गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला–अजमेर। .....**अपीलान्ट्स**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार पुष्कर जिला–अजमेर ..... **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :–17.11.2016**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गनाहेडा के खसरा सं0 187 रकबा 00–05–00 बीघा किस्म बारानी 3 सिवायचक भूमि पर संवत 2065 में झोपडी बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का गनाहेडा की रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 19/08 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर पर 187 पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नहीं है। खसरा नं0 187 की भूमि मौके पर रिक्त पडी है जिस पर ग्रामवासियान के मवेशी चरते है। अपीलान्ट का उक्त खसरा नं0 187 के पश्चिम दिशा में लगते हुए भू–भाग पर 50 वर्षो से पूर्व का कदीमी आवासीय झोपडा मुर्तिब है जिस पर वह परिवार सहित निवास करता आया है। सन् 1970–71 के नक्शे के अुनसार इस आवासीय झोपडी का कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं किया जाने से बिना नम्बर की भूमि है। इस भूमि पर अपीलान्ट की आराध्य देव रामदेव बाबा का मन्दिर मुर्तिब है। क्षैत्र के भू–माफिया इस भूमि को हडपना चाहते है। उन्हीं के द्वारा राजस्व कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर यह कार्यवाही करवाई गई है। अतः अपीलान्ट्स के विरूद्ध दर्ज प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप करने का निवेदन किया गया। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी हल्का की गैर कानूनी रिपोर्ट के आधार पर मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना आदेश दिनांक 3.10.2008 द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना जुर्माना का आदेश पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट के इसी आक्षेपित आदेश सें असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम गनाहेडा के खसरा सं0 187 रकबा 00–05–00 बीघा किस्म बारानी 3 सिवायचक भूमि पर संवत 2065 में झोपडी बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का गनाहेडा की रिपोर्ट पर रेस्पोडेन्ट द्वारा एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण संख्या 19/08 दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त खसरा नम्बर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

पर उसके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। खसरा नं0 187 की भूमि रिक्त पडी है जिस पर ग्रामवासियान के मवेशी चरते है। अपीलान्ट का उक्त खसरा नं0 187 के पश्चिम दिशा में लगते हुए भू–भाग पर 50 वर्षो से पूर्व का कदीमी आवासीय झोपडा मुर्तिब है जिस पर वह परिवार सहित निवास करता आया है। सन् 1970–71 के नक्शे के अुनसार इस आवासीय झोपडी का कोई खसरा नम्बर अंकित नहीं किया जाने से प्रश्नगत भू–भाग बिना नम्बर की भूमि है। इस भूमि बाबत अपीलान्ट के विरूद्ध गत 50 वर्षो से कोई कार्यवाही पहले नहीं की गई है। वरन लगातार निवास करने से अपीलान्ट को इस भूमि में कानूनन स्वत्व प्राप्त हो चुके है। इस भूमि पर अपीलान्ट की आराध्य देव रामदेव बाबा का मन्दिर मुर्तिब है। रामदेवरा पैदल जाने वाले यात्रिगण दर्शन कर इस स्थान पर विश्राम करते है। वादग्रस्त आराजी पुष्कर से गोविन्दगढ जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित होने एवं बेशकिमती होने से क्षैत्र के भू–माफिया इस भूमि को हडपना चाहते है। उन्हीं के द्वारा राजस्व कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर यह कार्यवाही करवाई गई है। अतः की गई कार्यवाही एवं नोटिस प्रभाव शून्य होने से अपीलान्ट्स के विरूद्ध दर्ज प्रकरण इसी स्तर पर ड्रोप करने का निवेदन किया गया। लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी हल्का की गैर क़ानूनी, असत्य रिपोर्ट के आधार पर मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना आदेश दिनांक 3.10.2008 द्वारा अपीलान्ट को बेदखल करने एवं लगान का 50 गुना जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया। आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 3.10.2008 निरस्त किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। धारा 91 की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने/पाये जाने पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नियमानुसार अपेक्षित है, उसी के तहत् कब्जा अतिक्रमण होने से रिपोर्ट पटवारी के आधार पर प्रकरण दर्ज कर प्रावधानों अनुसार अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जाकर जवाब, सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि राजस्व रिंकार्ड में बारानी–3 सिवाय चक दर्ज है तथा अपीलान्ट द्वारा सिवाय चक भूमि रकबा 00–05–00 बीघा पर झोपडी बनाकर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत् उपरोक्त कार्यवाही पूर्णरूपेण विधि अनुरूप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई कानूनी भूल अथवा विधि के विरूद्ध कार्यवाही का उल्लेख नहीं है। अपीलान्ट की अपील को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार किसी भी प्रकार से स्पष्ट नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2008 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.11..2016 को खुले इजलास सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner